

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1646/2016/भरतपुर.

मैसर्स शिव ट्रेडर्स,
कामां, भरतपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत्त, भरतपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री शीतांशु शर्मा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 188/आरवैट/2015-16/अ.प्रा./भरतपुर में पारित आदेश दिनांक 22.04.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26 एवं 55 के तहत आरोपित मांग राशि रूपये 30,124/- को यथावत् रखा गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच्य वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण दिनांक 09.02.2009 को करते हुए पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कुल विक्रय राशि रूपये 94,67,490/- का किया गया, जिसमें से राशि रूपये 12,37,453/- का विक्रय आडतियों के माध्यम से किया गया है। इस विक्रय में राशि रूपये 3,72,839/- के वैट-36 के साथ कर राशि जमा कराने के प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं। इस बाबत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस दिनांक 31.01.2011 व 11.04.2011 जारी किये गये, जिसकी पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया, उक्त प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी पर कुल मांग राशि रूपये 30,124/- का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22.04.2016 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में पेश की गयी है।

निरन्तर.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके विद्वान प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर अपील आधारों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.02.2009 पारित करते हुए उल्लेख किया है कि "व्यवसायी द्वारा राशि रूपये 12,37,453/- की बिक्री प्रिंसीपल के आधार पर कमीशन एजेंट के रूप में की है। जिसका 4 प्रतिशत कर जमा करा दिया है। जिसका प्रिंसीपल अपने कर निर्धारण में समायोजन प्राप्त करेगा।" परन्तु बाद में कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2015 पारित करते हुए मांग राशि रूपये 30,124/- का आरोपण कर दिया, जो विधिविरुद्ध है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय 46 टीयूडी 5 पार्ट 1 सीटीओ बनाम मैसर्स केसरीमल रतनलाल उद्धरित किया। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को विधिसम्मत बताते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.02.2009 पारित करते हुए उल्लेख किया है कि "व्यवसायी द्वारा राशि रूपये 12,37,453/- की बिक्री प्रिंसीपल के आधार पर कमीशन एजेंट के रूप में की है। जिसका 4 प्रतिशत कर जमा करा दिया है। जिसका प्रिंसीपल अपने कर निर्धारण में समायोजन प्राप्त करेगा।" परन्तु बाद में कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.02.2009 में संशोधन करते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2015 पारित कर अपीलार्थी व्यवहारी पर मांग राशि रूपये 30,124/- का आरोपण कर दिया। इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उद्धरित राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय 46 टीयूडी 5 पार्ट 1 सीटीओ बनाम मैसर्स केसरीमल रतनलाल में निर्णित किया गया है कि म्याद समाप्ति से पूर्व नोटिस जारी किया जाकर कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का मूल कर निर्धारण दिनांक 09.02.2009 में पारित किया गया, एवं उसमें संशोधन हेतु अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस दिनांक 31.01.2011 व 11.04.2011 जारी किये गये, जो कि म्याद अन्दर थे। उक्त दोनों ही नोटिस पत्रावली के पृष्ठ संख्या 13 एवं 14 पर उपलब्ध है। इनकी पालना में व्यवसायी का जवाब भी दिनांक 11.04.2011 को प्रस्तुत किया हुआ है, जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 15 पर उपलब्ध है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि व्यवसायी को धारा 26 एवं 33 के तहत नोटिस तामिल हुए है और इन नोटिसों की पालना में व्यवसायी ने अपना जवाब दिनांक 11.04.2011 को प्रस्तुत कर रखा है, जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 15 पर मौजूद है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उद्धरित निर्णय उनकी किसी प्रकार से

सहायता प्रदान नहीं करते हैं। जहाँ तक व्यवसायी को समयावधि के भीतर नोटिस जारी करने का प्रश्न है वह रिकॉर्ड से प्रमाणित है कि वर्ष 2006-07 के लिये पुनः कर निर्धारण हेतु 5 वर्ष के भीतर नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था, जो व्यवसायी को 5 वर्ष की समय सीमा के भीतर दिनांक 30.01.2011 एवं 11.04.2011 को जारी कर दिये गये थे। इनकी पालना में व्यवसायी ने लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया है परन्तु जवाब के साथ विक्रय राशि रुपये 3,72,339/- के वैट-36 एवं कर राशि जमा करवाने के प्रमाण/चालान संलग्न नहीं किये थे और न ही इनकी फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उसने वर्ष 2006-07 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.02.2009 को उक्त समस्त वैट-36 एवं चालान प्रस्तुत कर दिये थे। धारा 26(3) में यह प्रावधित किया गया है कि कर निर्धारण संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के 8 वर्ष के भीतर किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी व्यवसायी का उक्त 8 वर्ष की समयावधि के भीतर कर निर्धारण दिनांक 31.03.2015 को पारित किया गया है जो समय सीमा के भीतर है। धारा 26 के प्रावधान निम्न प्रकार है-

26. Escaped assessment.— (1) An assessment —

- (a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or
 (b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under this Act has been escaped wholly or in part; or
 (c) wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way or under any circumstances,

shall be deemed to be an escaped assessment and the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the time limit provided in sub-section (3).....

(3) No notice under sub-section (1) shall be issued after the expiry of five years, and no assessment under this section shall be made after the expiry of eight years, from the end of the relevant year.

इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उद्धरित निर्णय उनकी किसी प्रकार से सहायता नहीं करते हैं।

7. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राशि रुपये 12,37,453/- का विक्रय आडतियों के माध्यम से किया गया है, इस विक्रय में राशि रुपये 3,72,839/- के वैट-36 के साथ कर राशि जमा कराने के प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः राशि रुपये 3,72,839/- पर कर जमा नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने जो कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2015 पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

8. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2016 यथावत् रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य